<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद संख्या–117/2010</u>

<u>CIS NO-127/2019</u>

कंचन देवी..वादिनी

बनाम

रितेश कुमार मिश्र एवं अन्य...प्रतिवादीगण

<u>19.10.20</u> वादिनी की पैरवी है। प्रतिवादीगण की पैरवी नहीं है। वादिनी की ओर से आज एक आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 13.01.20 को दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 पर आदेश हो गया था, किन्तु भूलवश वह आदेश फलक पर नहीं आ पाया है। इसलिए उसे आदेश फलक पर जोड़ा जाय।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी की ओर से दिनांक 13.01.20 को आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन दाखिल किया गया था तथा कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या–4 रामाधार महतो की मृत्यु दिनांक 23.12.19 को हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को छोड़ गए हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या–3 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया गया था।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी का उक्त आवेदन दिनांक 05.02.20 को स्वीकृत हो गया था, लेकिन यह आदेश, आदेश फलक पर नहीं आ पाया था तथा भूलवश प्रत्युत्तर हेतु नियत हो गया। ऐसी दशा में इसे आज की तिथि में सुधार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मृत प्रतिवादी संख्या–3 का नाम वादपत्र से विलोपित कर उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। तत्पश्चात वादिनी द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 21.12.2020

अवर न्यायाधीश(प्रथम)